



मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)

खण्ड-2, पंचम तल, पर्यावास भवन, भोपाल-462 011

Tel. No.: (O) 0755-2572207, (F) 2573396 E-mail: ceomprda@gmail.com

क्रमांक: 8241/22/वि-12/FA-DP/2018

भोपाल, दिनांक 20/04/2018

स्थाई आदेश क्रमांक - 06

-----00-----

मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के निविदा प्रपत्र के अनुच्छेद-1.1 (GCC) में निहित प्रावधान तथा प्राधिकरण की साधिकार समिति की 54वीं बैठक (एजेन्डा आयटम क्रमांक-54/7) में लिये निर्णय अनुसार कार्य के सुचारु संचालन, त्वरित निर्णय व्यवस्था एवं कार्य निष्पादन में गति प्रदान करने के उद्देश्य से निविदा प्रपत्र में नियोजक के लिए वर्णित अधिकार, कॉलम 5 में अंकित अधिकारियों को निम्नानुसार प्रत्यायोजित किये जाते हैं :

स. क्र.	निविदा प्रपत्र	अनुबंध की कंडिका संदर्भ	विषय	अधिकारी का पदनाम जिसे अधिकार प्रत्यायोजित किये जा रहे हैं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SBD for Construction & Maintenance of Rural Road - January - 2008	Section-4 Part-I GCC-44	Liquidated Damages निर्धारित करने एवं अंतिम समयवृद्धि देने का अधिकार	क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक
2	(a) SBD for Construction & Maintenance of PMGSY works- Sept. 2016 Bidding document for Construction & maintenance PMGSY ADB-RRS-II Nov-2009 & PMGSY-RCIP March-2012, RCIP-II Sept-2017 Rural Roads / Bridges September 2017	Section-4 Part-I GCC-44	Liquidated Damages निर्धारित करने एवं अंतिम समयवृद्धि देने का अधिकार	क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक
	(b) Bidding document for MPRCP Works- Sept-2017	GCC -47	Liquidated Damages निर्धारित करने एवं अंतिम समयवृद्धि देने का अधिकार	क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक

	(c) Bidding document of MMGSY Jan-2012	GCC -2	Liquidated Damages निर्धारित करने एवं अंतिम समयवृद्धि देने का अधिकार	क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक
3	(a) Tender document for Repaire & Maintenance of Rural Roads, Sept-2007 & Dec-2015	GCC -44	Liquidated Damages निर्धारित करने एवं अंतिम समयवृद्धि स्वीकृत करने के अधिकार	क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक
	(b) Tender document for shifting of electric lines - August- 2009	GCC -2	Liquidated Damages निर्धारित करने एवं अंतिम समयवृद्धि स्वीकृत करने के अधिकार	क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक
4	(a) SBD for PMGSY Jan-2008 & Sept-2016/ PMGSY-RCIP March-2012, RCIP-II Sept 2017/ Rural Road / Bridges Sept-2017/ ADB RRS II / PMGSY Jan-2008	GCC -24	महाप्रबंधक द्वारा अनुबंध के अनुच्छेद-52.1 एवं 33 (GCC) के अंतर्गत की गई कार्यवाही से उत्पन्न वाद निराकरण के अधिकार	क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक
			सभी तरह के quantified claims का निराकरण	क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक
	(b) MMGSY Jan-2012	GCC -29	महाप्रबंधक द्वारा अनुबंध के अनुच्छेद-3 (GCC) के अंतर्गत की गई कार्यवाही से उत्पन्न वाद निराकरण के अधिकार	क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक
5	(a) Tender document for Repaire & Maintenance of Rural Roads - Sep- 2007 & Dec. 2015.	GCC -24	महाप्रबंधकों द्वारा अनुच्छेद - 52 के अंतर्गत की गई कार्यवाही से उत्पन्न समस्त प्रकार के वाद निराकरण के अधिकार	क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक
	(b) Shifting / Raising of High Voltage (HV) / Medium Voltage (MV) / Low Voltage (LV) Lines and Poles form Alignment of PMGSY Roads August 2009	GCC -27	महाप्रबंधक द्वारा अनुबंध के अनुच्छेद - 3 (GCC) के अंतर्गत की गई कार्यवाही से उत्पन्न वाद निराकरण के अधिकार	क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक
6	SBD for Construction & Maintenance of Rural Road PMGSY Sept 2016, RCIP-II Sept 2017, MPRCP Sept 2017 , Rural Roads / Bridges Sept-2017	Section-4 Part-I GCC Clause 7 Sub Contracting.	ठेकेदार द्वारा अनुबंधित निर्माण कार्य का 25% तक तथा 5 वर्षों के रूटीन मेन्टेनेंस कार्य का कुछ प्रतिशत अथवा पूर्ण कार्य सबलेट करने की अनुमति देने का अधिकार है।	क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक

7	SBD for Construction & Maintenance of Rural Road PMGSY Jan-2008 & Sept 2016, MPRCP Sept 2017, RCIP-II Sept 2017, Repair & Maintenance Dec 2015, Rural Roads / Bridges Sept-2017	Section-4 Part-I GCC Clause-27	Liquidated damages भारत करने का अधिकार सुरक्षित रखते हुए अनुबंधित अवधि में समयवृद्धि करने का अधिकार।	क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक
8	(a) SBD for Construction & Maintenance of Rural Road PMGSY Sept 2016/ Rural Roads Bridges Sept 2017, RCIP-II Sept-2017/ (b) Repair & Maintenance Dec-2015 (c) MPRCP Sept-2017	GCC -36 GCC 35.2.3 GCC -38	पैकेज की अनुबंधित लागत की सीमा के अंदर, स्थल की आवश्यकतानुसार, विचलन स्वीकृत करने के पूर्ण अधिकार। अनुबंधित मात्राओं से 25% से अधिक मात्राओं की दरें तथा Non Schedule एवं Non SOR Items की दरों को मुख्यालय की तकनीकी समिति से अनुमोदन कराना अनिवार्य होगा।	क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक
9	(a) SBD for Construction & Maintenance of Rural Road PMGSY Sept 2016/ Rural Roads Bridges Sept 2017, RCIP-II Sept-2017/ (b) Repair & Maintenance Dec-2015 (c) MPRCP Sept-2017	GCC -36 GCC 35.2.3 GCC -38	पैकेज की अनुबंधित लागत के अंतर्गत स्थल की आवश्यकतानुसार किये जाने वाले विचलन, जिनमें किसी भी आयटम में अनुबंधित मात्रा के 25 प्रतिशत की सीमा अंतर्गत विचलन हो, नीचे वर्णित शर्तों के अधीन अधिकार।	महाप्रबंधक पी.आई.यू

प्रत्यायोजन की सामान्य शर्तें :-

- 1 स. क्र. 9 पर महाप्रबंधकों को प्रत्यायोजित अधिकार निम्न शर्तों के आधीन होंगे :-
 - a) यदि पैकेज से कोई सड़क विलोपित की जाती है (विलोपन की स्वीकृति मुख्यालय से लेनी होगी) अथवा किसी सड़क या उसके भाग का किसी कारणवश निर्माण नहीं हो पाता तो उस मार्ग की अनुबंधित लागत पैकेज की अनुबंधित राशि में से कम की जायेगी एवं शेष सड़कों के लिये विचलन की कुल लागत, समानुपातिक अनुबंधित लागत की सीमा में हो तो महाप्रबंधक स्वीकृत करेंगे। इसी प्रकार यदि स्वीकृत चौड़ाई 3.75 मीटर के स्थान पर 3 मीटर होती है तो उस मार्ग की

- अनुबंधित लागत में 20 प्रतिशत कम करके समानुपातिक लागत की गणना की जायेगी।
- b) पैकेज में सम्मिलित किसी 01 मार्ग की अनुबंधित लागत में 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होने पर महाप्रबंधक प्रकरण स्वीकृति हेतु मुख्य महाप्रबंधक को भेजेगें।
 - c) स्वीकृत मार्गों में स्लैब कल्वर्ट/बॉक्स कल्वर्ट को वेंटेड कॉस-वे/ह्यूम पाईप कल्वर्ट में बदलने या सी.डी. कार्य के स्वरूप में परिवर्तन होने की स्थिति में महाप्रबंधक प्रकरण स्वीकृति हेतु मुख्य महाप्रबंधक को भेजेगें। मुख्य महाप्रबंधक द्वारा पूर्ण तकनीकी परीक्षण उपरांत शासन हित में निर्णय लिया जाएगा।
 - d) यदि मिट्टी के कार्य (अर्थवर्क/कटिंग एवं सबग्रेड सहित) कुल मात्रा डीपीआर में स्वीकृत मात्रा एवं राशि से 10 प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ती है तो महाप्रबंधक विचलन स्वीकृत करेगें। अन्यथा मुख्य महाप्रबंधक से अनुमति प्राप्त कर विचलन स्वीकृत कर सकेगें।
 - e) यदि पैकेज लागत के तहत सडकों में GSB का कार्य प्रावधानित मटेरियल से Higher Specification के मटेरियल से अर्थात् RBM GSB के स्थान पर क्रस्ट स्टोन GSB अथवा लोकल GSB के स्थान पर RBM/क्रस्ट स्टोन GSB के साथ किया जाता है तो उसके विचलन की स्वीकृति महाप्रबंधक के स्तर पर इस शर्त के साथ दी जा सकेगी कि भुगतान BOQ में प्रावधानित मटेरियल की स्वीकृत दर पर ही किया जायेगा। यदि प्रावधानित GSB से निम्न श्रेणी के मटेरियल से GSB करने की अपरिहार्यता की स्थिति बनती है तो इसके लिए पूर्ण औचित्य दर्शाते हुए इसको करने की अनुमति संबंधित मुख्य महाप्रबंधक से प्राप्त कर इसके विचलन की स्वीकृति महाप्रबंधक द्वारा दी जा सकेगी।
 - f) G-3 का कार्य Stone Screening से ही कराना होगा, इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव करने की अनुमति नहीं होगी। इस प्रकार WBM के स्थान पर, WMM से कार्य, WBM की दर पर पैकेज लागत के अंदर महाप्रबंधक द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है बशर्ते ठेकेदार WMM कार्य हेतु निर्धारित मापदंड एवं प्रक्रिया के पालन हेतु पूर्व सहमति प्रदान करें।
- 2 महाप्रबंधक स्वीकृत विचलन की प्रति निर्धारित प्रारूप में आयटम वार विचलन के कारण दर्शाते हुये संबंधित मुख्य महाप्रबंधकों एवं मुख्यालय (संबंधित योजना प्रभाग) को प्रेषित करेंगें। यह भी निर्देशित किया जाता है कि विचलन स्वीकृति में शासकीय हितों की अनदेखी न हो।
 - 3 प्रशासकीय स्वीकृति/अनुबंधित लागत से अधिक राशि के विचलन में अनुमोदन हेतु प्रकरण मुख्यालय भेजते समय महाप्रबंधक/मुख्य महाप्रबंधक प्रावधानित मात्राओं से 25 प्रतिशत से अधिक मात्राओं के आयटम एवं एक्स्ट्रा आयटमों की दरें निर्धारित प्रक्रिया अनुसार दर-विश्लेषण के साथ प्रस्तावित कर भेजेगें।
 - 4 मार्गों के क्रस्ट परिवर्तन के प्रकरण मुख्य महाप्रबंधक मुख्यालय में संबंधित प्रभाग के माध्यम से निर्णय हेतु तकनीकी समिति को प्रस्तुत करेंगें।
 - 5 यदि किसी पैकेज के अंतर्गत स्वीकृत मार्गों में अतिरिक्त सी.सी. सडक निर्माण करने की अति आवश्यकता है किन्तु डी.पी.आर त्रुटिपूर्ण होने या अन्य कारण से प्रावधान नहीं है तो संबंधित मुख्य महाप्रबंधक पैकेज में प्रावधानित सीमेन्ट कांक्रीट सडक की लम्बाई का 10 प्रतिशत अतिरिक्त लम्बाई में स्थल का निरीक्षण कर,

8/2014

- स्थल की आवश्यकता एवं तकनीकी रूप से सहमत होने के उपरांत ही कराने की अनुमति प्रदान करेंगे। यदि अतिरिक्त सीमेन्ट कांक्रीट सड़क निर्माण की लम्बाई पैकेज के अंतर्गत प्रावधानित लम्बाई से 10 प्रतिशत से अधिक हो तो मुख्य महाप्रबंधक स्थल का निरीक्षण कर स्थल की आवश्यकता एवं तकनीकी रूप से सहमत होने के उपरांत अपनी अनुशंसा सहित प्रकरण मुख्यालय को प्रेषित करेंगे, उक्त अनुमति आवश्यकता प्रतिपादित होने पर मुख्यालय द्वारा प्रदान की जावेगी।
- 6 अनुच्छेद-44/47/2 के अंतर्गत Liquidated Damages निर्धारण हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले समस्त आवेदन निर्धारित प्रारूप में ही मान्य किये जाएंगे। महाप्रबंधक द्वारा भी निर्धारित किये गये प्रारूप में प्रत्येक प्रकरण का विस्तृत विश्लेषण समय सीमा में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
 - 7 अनुच्छेद-24/27/29 के अंतर्गत प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरण निर्धारित प्रारूप में ही प्रस्तुत किया जाना होगा। निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत न किये जाने वाले प्रकरण पर कार्यवाही नहीं की जाएगी।
 - 8 प्रत्येक प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरणों को दायरा पंजी में दिनांकवार दर्ज करने की कार्यालयीन व्यवस्था की जाए एवं सुनवाई की दिनांक भी उसी क्रमानुसार निर्धारित किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रकरणों का शीघ्रता से निराकरण हो।
 - 9 प्रकरणों की सुनवाई के लिए उभयपक्षों को स्पीड पोस्ट के माध्यम से एवं यथासंभव व्यक्तिगत रूप से भी प्रकरणों की सुनवाई की सूचना तामील कराई जाए। प्रकरणों में सूचना प्राप्त होने का प्रमाण/स्पीड पोस्ट की रसीद भी अनिवार्यतः संधारित की जाएगी।
 - 10 प्राधिकारी द्वारा परिनिर्धारित नुकसानी (Liquidated Damage) का निर्णय दस्तावेजों के आधार पर एवं संविदा में विभिन्न पक्षों को आवंटित जोखिम (Risk) के आधार पर पूर्ण विवेचना एवं सुनवाई पश्चात ही किया जाए।
 - 11 प्राधिकारी द्वारा अन्य समस्त प्रकरणों का निर्णय करने से पूर्व संविदा के प्रावधान अनुसार प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त का पालन करते हुए सुनवाई की आवश्यकता होने पर सुनवाई के पश्चात ही निर्णय किया जाए।
 - 12 प्रत्यायोजन में परिवर्तन से पूर्व संबंधित प्राधिकारी को प्रस्तुत प्रकरण/अपील निर्णीत नहीं है तो तुरन्त आवेदन/नस्ती संबंधित प्राधिकारी को हस्तांतरित किया जाए। मुख्यालय की वित्तीय सलाहकार शाखा में अनिर्णीत लंबित प्रकरणों को 07 दिवस के अन्दर संबंधित प्राधिकारी को हस्तांतरित किया जाए।

इस विषय से संबंधित पूर्व में जारी समस्त परिपत्र निरस्त माने जाए।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

8/20/4

(नीतेश व्यास)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
पर्यावास भवन, भोपाल

1. प्रमुख अभियंता, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, मुख्यालय भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. मुख्य महाप्रबंधक (वित्त), मुख्य महाप्रबंधक (समन्वय) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. समस्त मुख्य महाप्रबंधक मुख्यालय एवं जबलपुर, रीवा, इन्दौर, ग्वालियर, की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. समस्त महाप्रबंधक, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. वित्तीय सलाहकार, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, मुख्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. गार्ड फाइल।

8/20/18

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
पर्यावास भवन, भोपाल